कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कन्नौज

पत्रांक : 390 /1C दिनांक : 12.03.2020

सेवा में,
जिलापूर्ति अधिकारी,
जनपद–कन्नौज।

विषय : यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत कन्नौज में रिटेल आउट लेट इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड पेट्रोल पम्प फतेहगढ(फर्रूखाबाद) गुरसहायगंज मार्ग(राज्य मार्ग संख्या–29ए.)के किमी0 24 व 25 चैनेज 23.972 से चैनेज 24.012 में वायी तरफ खसरा संख्या–134क ग्राम मलिकपुर तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ : मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर का पत्र संख्या 2135का0क्षे0/333का0क्षे0/भवन/19 दिनाँक 06.03.2020, अधीक्षण अभियन्ता, कन्नौज–फर्रूखाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, कन्नौज का पृष्ठांकन 1756सी0/35सी0–क0फ0वृ0/20 दिनाँक 07.03.2020 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 908/जि0पू0अ0– आई0ओ0सी0एल0 /2019–20 दिनाँक 17.01.2020।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रस्तावित रिटेल आउट लेट की स्थापना के लिये आपकी संस्तुति तथा शासनादेश संख्या 1882/23–12–19–1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनाँक 04.12.2019 द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ की **06 माह के अन्तर्गत रिटेल आउटलेट का निर्माण पूर्ण होने की शर्त के साथ प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण–पत्र** निर्गत किया जाता है :–

1. रिटेल आउटलेट का निर्माण कन्नौज में फतेहगढ़ (फर्रूखाबाद) गुरसहायगंज मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0–24, चैनेज 23.972 से किमी0 25, चैनेज 24.012 तक में खसरा संख्या 134क ग्राम मलिकपुर, पोस्ट गुरसहायगंज जनपद कन्नौज में प्रस्तावित है।
2. रिटेल आउटलेट का निर्माण कन्नौज में फतेहगढ़ (फर्रूखाबाद) गुरसहायगंज मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0–24, चैनेज 23.972 से किमी0 25, चैनेज 24.012 तक में खसरा संख्या 134क ग्राम मलिकपुर, पोस्ट गुरसहायगंज जनपद कन्नौज में वायी ओर पडेगा।
3. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नही किया गया है।
4. यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल 1964 के नियम 7 के अनुसार आवेदक को प्रस्तावित निर्माण एवं रिटेल आउटलेट लगाने की अनुमति सड़क के मध्य से 23 मी0 अर्थात 75 फुट की दूरी पर निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जा सकता है :–

(I) आवेदक को निर्माण/पेट्रोल /डीजल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त निजी खर्चे से दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा।

(II) इस प्रकार की कोई भी स्थायी व अस्थायी संरचना नही की जायेगी, जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।

(III) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा कि पानी बिना अवरोध के सीधा नाली में ही आये। किसी भी दशा में नाली को बन्द नही किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आये।

5. मनचित्र में दिये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्ही भी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझाा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मन्त्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहियें। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
7. रिटेल आउट लेंट (पेट्रोल पम्प) के पहुँच मार्ग का रखरखाव इण्डियन ऑल कारपोरेशन लि0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा।

क्रमशः पेज 2 पर

20 MAR 2020

चन्द्रमणि राय
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0
आगरा मंडल कार्यालय
संजय प्लेस, आगरा–282002

Scanned with CamScanner

8. उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
9. बफर स्ट्रिप का निर्माण शासनादेश संख्या 1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ दिनॉक 04.12.2019 के अनुसार कम से कम 3 मी0 चौड़ी एवं 12 मी0 लम्बी होनी चाहियें।
10. बफर स्ट्रिप एवं रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की बाउण्ड्री के बीच की दूरी दोनो तरफ कम से कम 9.00 मीटर होनी चाहियें।
11. मार्ग पर 300 मीटर की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) नहीं होना चाहियें।
12. रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) के पहुँच मार्ग में 150एम0एम0, जी0एस0बी0, डब्लू0एम0एम0, 250 एम0एम0, 50 एम0एम0, डी0बी0एम0, तथा 30 एम0एम0, बी0सी0, का न्यूनतम पेवमेण्ट कम्पोजीशन होना चाहियें। इण्टरलॉकिंग कांक्रीट ब्लॉक पेवमेण्ट का निर्माण IRC:SP:63 के मानकों के अनुसार होना चाहियें।
13. रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) का पेक्ट एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेविल से न्यूनतम 300 मिली मीटर नीचे होना चाहियें, ताकि सड़क पर परिसर का पानी न आने पाये।
14. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 2 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाये।
15. रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि आर0ओ0डब्लू0 एवं बिल्डिंग लाईन के बाहर होना चाहिये तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।
16. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन–बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।
17. भविष्य में यदि सड़क का चौड़ीकरण होता है और विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है तो आवेदक की किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्वामी दर्ज होने अथवा भूस्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज–डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाये। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र पर कोई विचार न किया जाये।
19. रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाये।
20. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज को बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 3 मीटर ऊपर रखा जाये।
21. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाये।
22. जल–मल निकाली मार्ग की तरफ न किया जाये तथा निर्माण सामग्री को मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाये।
23. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नही लगाये जायेंगे।
24. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।
25. लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोगी होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाये।
26. वेगान्तर लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा। दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।
27. प्रस्तावित निर्माण कार्य शासनादेश संख्या 1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग–12, लखनऊ दिनाँक 04.12.2019 के प्राविधानों/विशिष्टियों एवं ANNEX-I तथा II A & II B में दिये प्राविधानों के अनुसार ही कराया जाये। यदि सर्कुलर में दिये गये विशिष्टियों/मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नही किया जाता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

क्रमशः पेज 3 पर

20 MAR 2020

चन्द्रमणि राय
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0
आगरा मंडल कार्यालय
संजय प्लेस, आगरा–282002

Scanned with CamScanner

28. शासनादेश संख्या 1882 / 23–12–19–1365 / 17टीसी लोक निर्माण अनुभाग–12, लखनऊ दिनॉक 04.12.2019 के प्रस्तर–13 के अनुसार प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अन्तिम अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु नियमानुसार अनुसरण किया जाये।
29. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 1882 / 23–12–19–1365 / 17टीसी लोक निर्माण अनुभाग–12, लखनऊ दिनॉक 04.12.2019 के प्रस्तर–11.2 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुवलिक रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख मात्र) की लाइसेंस फीस सर्कुलर जारी होने की कलेण्डर वर्ष में तथा रू0 10,000.00 प्रोसेसिंग फीस के रूप में आवेदक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कन्नौज के राजस्व मद में जमा कर दिया गया है। लीज खत्म होने की स्थिति में पुनः नवीनीकरण हेतु रू0 10,000.00 का नवीनीकरण शुल्क राजस्व मद में जमा किया जायेगा।

संलग्नक :–मानचित्र की एक प्रति।

3/2/20

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
कन्नौज

पत्रांक : /

दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कन्नौज को उनके द्वारा प्रस्तुत आख्या के क्रम में।
2. श्री वरूण प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता (सिविल) निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कन्नौज को उनके द्वारा प्रस्तुत आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कन्नौज को अभिलेखार्थ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
कन्नौज

20 MAR 2020
चन्द्रमणि राय
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0
आगरा मंडल कार्यालय
संजय प्लेस, आगरा–282002

Scanned with CamScanner

NOTES:-

1. 40MM DIA VENT PIPE 4.0 M HIGH &4.0 M CLEAR ALLROUND FITTED WITH TWO LAYER OF NON CORRODABLE WIRE GUAGE OF 11 MESH /LINER CM SQUARE.
2. FILL POINT FITTED WITH CAMLOCK COUPLING& AIR TIGHT THREADED BRASS CAP DECAINTING FROM TANK LORRY.
3. DIP PIPE WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRIC ARE FLAMPROOF CONFORING TO IS.2148.
5. ALL THE DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRIAN WITH IN 6 MTR FORM U.G TANK & D.U.S.
7. PREMISES TO BE USED ONLY FOR STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANK ARE PAINTED WITH TWO LAYER OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LID PRIMER TO PROTECT AGAINST CORRISION.
9. FEBRICATION OF U.G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS 10987:1998 AS PER CCOE NAGPUR ORDER NO G-40(SC)P/MISC 94.DATED 24-02-1999.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTRS.
11. SB= SAND BUCKETS10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES.
12. FE= FIRE EXTINGUISHER'S 10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRULIC PRESSIRETEST TO BEFORE INSTALLATION AND BEFORE ANY PEROTECTIVE COATING IS APPLIED.THE TEST SHOULD BE MENTION AT A CONTROLL PRESSURE OF 0.36 K/G/CM2 FOR TWO HOURS.
14. DIP ROAD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG.
15. FEBRICATION THICKNESS OF TANK SHELL PLATES AND END PLATES. 20K/L SHELL -6MM , END- 8MM
16. TANK CONFORM TO CLAUSE 124,125&131 OF PETROLEUM RULES 2002.
17. ALL LIGHT POLES FITTED AS PER APPROVELS OF CCOE NAGPUR VIDE LETTER NO-PLIII(MB-1)DATED 25.11.03.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MENTION FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19. SITES MEETS APPLICABLEAS PER IRC NORMS 1983 WITH LATEST AMMENDMENTS.
20. E.V= EXTENDED VENT PIPE.
21. E.F= EXTENDED FILL POINT.
22. NO HIGH TENSION LINE IS PASSING OVER THE SITE.
23. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO MCASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
24. ALL NECESSARY APPROVALS FROM CONCERN DEPARTMENT TO BE OBTAINED

SIGN & SYMBOLS

(A)	FUEL STATION AHEAD 1 KM & 500M	
(B)	FUEL STATION	
(C)	FUEL STATION AHEAD	
(D)	GIVE WAY	
(E)	ONE WAY	
(F)	NO ENTRY	
(G)	COMPULSARY DIRECTION BOARD	
(H)	NO RIGHT TURN	
(I)	NO LEFT TURN	
(J)	FUEL STATION BOARD	

AREA CHART

PROPOSED CONSTRUCTION AREA (40Mx40M)	1600 SQM
SALES BUILDING AREA	36.19 SQM
CANOPY AREA	242.00 SQM

REFRENCE

PROPOSED CONSTRUCTION	
PROPOSED DRAIN	
OTHER'S LAND	

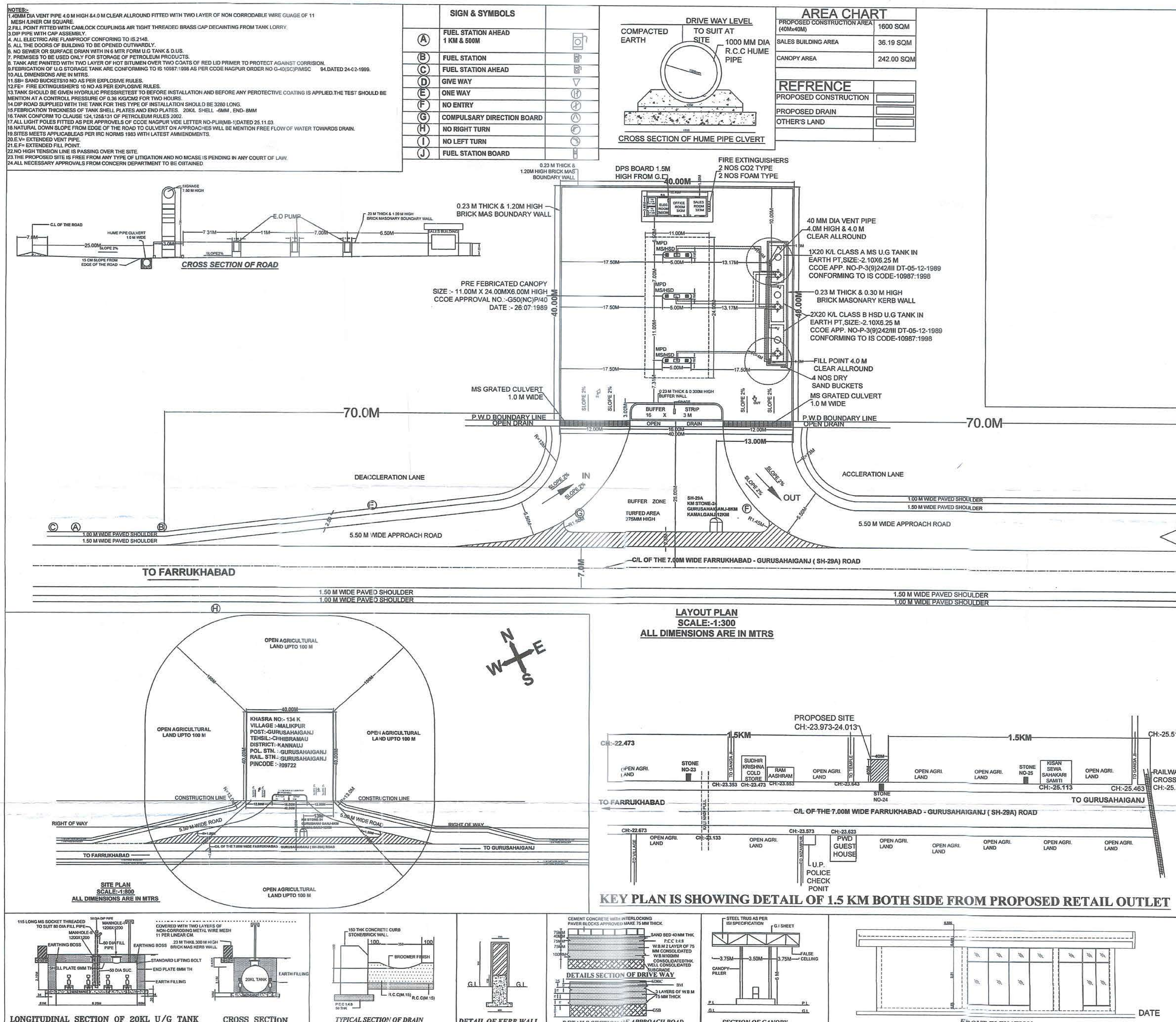

चन्द्रमणि राय
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
आगरा मंडल कार्यालय
संजय प्लेस, आगरा-282002

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, 01 लो०नि०वि०
कन्नौज

SITE DETAILS

KHASRA NO	134 K
VILLAGE	MALIKPUR
TEHSIL	CHHIBRAMAU
POST OFFICE	GURUSAHAIGANJ
PIN CODE	209722
POLICE STN.	GURUSAHAIGANJ
RAILWAY STN.	GURUSAHAIGANJ
DISTRICT	KANNAUJ
STATE	UTTAR PRADESH

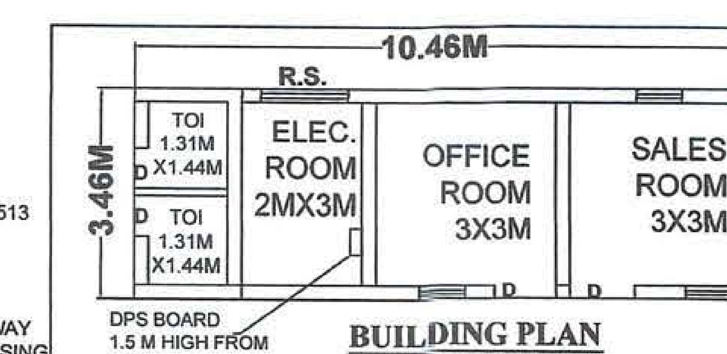

BUILDING PLAN

LEGEND	DESCRIPTION	DIMESION	CAPACITY	PIT TYPE	EXPLOSIVE APPROVAL NO.
T1	MS U/G TANK	2.10 X 6.25 M	20.00 KL	EARTHERN	CIE:P-3(9)242 DATE-11.06.1968
T2	HSD U/G TANK	2.10 X 6.25 M	20.00 KL	EARTHERN	CIE:P-3(9)242 DATE-11.06.1968
T3	HSD U/G TANK	2.10 X 6.25 M	20.00 KL	EARTHERN	CIE:P-3(9)242 DATE-11.06.1968
P1	PUMP ISLAND	5.00 X 1.0 M	MASONARY / CONCRETE PEDESTAL FOR ELECTRICALLY OPERATED FLAME PROOF PUMP CONFORMING IS - 2148.		
P2	PUMP ISLAND	5.00 X 1.0 M			
P3	PUMP ISLAND	5.00 X 1.0 M			

LICENSE DETAILS.

PESO. LIC. NO. P/CC/UP/14/ (P)

Indian Oil Corporation Limited
(Marketing Division)
65/2, Sanjay Place, Agra.

NAME OF RO:-	**MS & HSD RETAIL OUTLET**
LOCATION:- GURUSAHAI GANJ TO FARRUKHABAD ROAD	ROAD:- ON GURUSAHAIGANJ-FARRUKHABAD ROAD VILLAGE:- MALIKPUR TEHSIL:-CHHIBRAMAU DISTRICT:-KANNAUJ STATE- UTTAR PRADESH
DRAWING NO- IOCL/ADO/NRO/3404/20 DT-06/01/2020	
Scale:-As Shown Above	Sr.MGR(E) / Sr.MGR(RS) / CDRSM

DATE	REVISION